लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,

कार्य परिषद की बैठक संख्या 2026/03, दिनांक 13-04-2026 का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नांकित मा0 सदस्य उपस्थित रहें

1.	प्रो0 जय प्रकाश सैनी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अरविन्द मोहन, संकायाध्यक्ष, कला संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 संगीता साहू, संकायध्यक्ष, प्रबन्ध संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 के0 श्रीकुमार	सदस्य
5.	प्रो0 विवेक सहाय	सदस्य
6.	प्रो0 बबिता जायसवाल	सदस्य
7.	प्रो0 शिव गोविन्द पुरी	सदस्य
8.	प्रो0 हरिनारायण प्रसाद	सदस्य
9.	प्रो0 मुनीश कुमार	सदस्य
10.	डॉ0 अजय प्रकाश	सदस्य
11.	डॉ0 अलका मिश्रा	सदस्य
12.	डॉ0 सुशील कुमार	सदस्य
13.	डॉ0 अन्नामलाई सेंथल	सदस्य
14.	डॉ0 मंजुला उपाध्याय, प्रधानाचार्या, नवयुग पी0जी0 महाविद्यालय	सदस्य
15.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव	पदेन सचिव
16.	श्री विद्या नन्द त्रिपाठी, परीक्षा नियन्त्रक	विशेष आमन्त्रित
17.	श्रीमती हिमानी चौधरी	विशेष आमन्त्रित

बैठक के आरम्भ में माननीय कुलपति एवं समस्त मा0 कार्य परिषद सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात नवागत कार्य परिषद सदस्य, प्रो0 के0 श्रीकुमार, भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रो0 विवेक सहाय, गणित एवं खगोल शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ0 अजय प्रकाश, ऐसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्ध विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं डॉ0 सुशील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गणित एवं खगोल शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय का स्वागत किया गया तथा निवर्तमान कार्य परिषद सदस्यों प्रो0 नीरज मिश्रा, भौतिक विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रो0 आर0के0 शुक्ला, भौतिक विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ0 रितू नारंग, ऐसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्ध विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं डॉ0 एस0पी0 कन्नौजिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय का कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी कार्य अवधि में प्राप्त उनके सुझाव एवं सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

तत्पश्चात अध्यक्ष/कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बैठक की कार्यवाही

विनिश्चय संख्या 2026/03/01:- मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के सम्बन्ध में 'प्रारम्भिक उदबोधन।

मा0 कुलपति द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए परिचय सत्र के उपरान्त कार्य परिषद सदस्यों को दिनांक 05.02.2026 के पश्चात विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों एवं विभिन्न समितियों यथा विद्या परिषद, वित्त समित, परीक्षा समिति में लिये गये निर्णयों सीट वृद्धि से अवगत कराते हुए समितियों का पुनर्गठन एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

विनिश्चय संख्या 2026/03/02:- लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 05-02-2026 को सम्पन्न बैठक (संख्या 01/2026) का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक (संख्या 01/2026) दिनांक 05-02-2026 की कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/03:- लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 05-02-2026 को सम्पन्न बैठक (संख्या 01/2026) की कृत कार्यवाही आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 05-02-2026 को सम्पन्न बैठक (संख्या 01/2026) की कृत कार्यवाही आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/04:- लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 26-02-2026 को परिसंचरण माध्यम से सम्पन्न बैठक (संख्या 02/2026) का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 26-02-2026 को परिसंचरण माध्याम से सम्पन्न बैठक (संख्या 02/2026) के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/05:- लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 26-02-2026 को परिसंचरण माध्यम से सम्पन्न बैठक (संख्या 02/2026) की कृत कार्यवाही आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 26-02-2026 को परिसंचरण माध्याम से सम्पन्न बैठक (संख्या 02/2026) की कृत कार्यवाही आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/06:- लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या परिषद की दिनांक 28-03-2026 को सम्पन्न बैठक (संख्या 01/2026) का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या परिषद की दिनांक 28-03-2026 को सम्पन्न बैठक (संख्या 01/2026) के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/07:- लखनऊ विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 27-03-2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 27-03-2026 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/08:- लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 करूणा शंकर कन्नौजिया द्वारा पूर्व संस्थान, रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पूर्णकालिक संविदा के रूप में की गयी सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि 21.03.2016 से वरिष्ठता हेतु आगणित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर निदेशक विधिक की निम्नवत आख्या के आलोक में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः—

"डॉ0 करूणा शंकर कन्नौजिया, लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा में आने से पूर्व रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ में दिनांक 01.08.2008 से 21.03.2016 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पूर्णकालिक संविदा पर की गयी सेवायें है। उनके द्वारा उक्त महाविद्यालय में की गयी सेवायें मौलिक पद पर नही थी। उक्त सेवायें आगणन

हेतु मौलिक पद पर नियुक्ति होना अनिवार्य है।

परिनियमावली 18.05 (d) में अंकित प्राविधानों के दृष्टिगत रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ में की गयी दिनांक 01.08.2008 से 21.03.2016 तक पूर्णकालिक संविदा के रूप में की गई उक्त अवधि की सेवायें वरिष्ठता एवं प्रोन्नति लाभ हेतु आगणित किया जाना जाना नियमानुकूल नही है''

डॉ0 करूणा शंकर कन्नौजिया, व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रार्थित वरिष्ठता हेतु सेवायें जोडे जाने का प्रकरण नियमानुकूल न होने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/09:- लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 आशा द्वारा पूर्व संस्थान हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड में दिनांक 04-07-2013 से 05-07-2022 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में की गयी सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि 06-07-2022 से वरिष्ठता एवं CAS प्रोन्नति हेतु आगणित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर निदेशक, विधिक के निम्नवत अभिमत के आलोक में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

''डॉ0 आशा लखनऊ विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 8.0 में पूर्व की सेवाओं को जोड़ने हेतु वर्णित शर्तो को पूरा करती है''।

अतः इनके द्वारा पूर्व में की गई सेवाओं को CAS प्रोन्नति लाभ हेतु आगणित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

मा0 कार्य परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/10:- लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 अमित कुमार सिंह द्वारा पूर्व संस्थान उदित नारायण पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कुशीनगर में दिनांक 24.06.2010 पूर्वान्ह से 31.08.2016 अपरान्ह् तक की सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि 01-09-2016 से कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति लाभ हेतु आगणित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 के निम्नवत अभिमत के आलोक में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

''The documents are validated as required for counting of past service as per sec. 8.0 of UGC Regulation 2018 may be counted for CAS as per rule.

प्रकरण पर मा0 कार्य परिषद के समक्ष डॉ0 अमित कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2026 में किये गये अनुरोध के क्रम में प्रकरण को अगले आदेश तक स्थगित किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/11:- लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 सुधा द्वारा पूर्व संस्थान, आचार्य नरेन्द्र देव, नगर निगम महिला महाविद्यालय, कानपुर में दिनांक 06.12.2018 से 14.07.2023 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की गयी सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि 15.07.2023 से कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति लाभ हेतु आगणित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा प्राप्त निम्नवत अभिमत के आलोक में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

"Requird papers/documents are attached in above case, Hence may be consider for counting of past services for CAS"

मा0 कार्य परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/12:- प्रो0 राजीव मनोहर, भौतिक विज्ञान विभाग को डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची, झारखण्ड में कुलपति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु भौतिक विज्ञान विभाग के आचार्य पद से 03 वर्ष के लिए वेतन रहित असाधारण अवकाश धारणाधिकार सहित दिनांक 12.03.2026 से अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुपालन में निर्गत पत्र संख्या T-4116-21 दिनांक 12-03-2026 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा संसूचित होते हुए उनको डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची, झारखण्ड का कुलपति बनाये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए असाधारण अवकाश पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/13:- सौयोग्य कालेज ऑफ लॉ, लहुरेवान मनवा, सिधौली, सीतापुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की सत्र 2026–27 से तीन एवं पॉच वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता निर्धारित शर्तो के अधीन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या आर/254/26 दिनांक 28.03.2026 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

विनिश्चय संख्या 2026/03/14:- लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश अध्यादेश में प्रवेश समिति के गठन के संबंध में संशोधन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश अध्यादेश में वर्णित प्राविधानानुसार मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नवत प्रवेश समिति के गठन पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:–

1. कुलपति, (अध्यक्ष)
2. समस्त संकायाध्यक्ष। (सदस्य)
3. अध्यक्ष, प्रवेश प्रकोष्ठ। (सदस्य)
4. समन्वयक, प्रवेश। (सदस्य)
5. अध्यक्ष, लूटा। (सदस्य)
6. अध्यक्ष, लूआक्टा। (सदस्य)
7. अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि। (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य)
8. अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि। (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य)
9. अन्य पिछडा वर्ग के प्रतिनिधि। (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य)
10. वित्त अधिकारी। (सदस्य)
11. परीक्षा नियन्त्रक। (सदस्य)
12. एक प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य) (कार्यकाल एक वर्ष)
13. दो प्राचार्य/प्राचार्या,अनुदानित महाविद्यालय, (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य) (कार्यकाल एक वर्ष)
14. कुलसचिव (सचिव)

Bmisla

विनिश्चय संख्या 2026/03/15:- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 29(1) में वर्णित व्यवस्थानुसार परीक्षा समिति के गठन हेतु परीक्षा नियन्त्रक लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 29(1) में वर्णित व्यवस्थानुसार निम्नवत परीक्षा समिति के गठन पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:—

1. कुलपति (अध्यक्ष)
2. समस्त संकायाध्यक्ष (सदस्य)
3. अध्यक्ष, लूटा (सदस्य)
4. अध्यक्ष, लूआक्टा (सदस्य)
5. अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य)
6. अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य)
7. अन्य पिछडा वर्ग के प्रतिनिधि (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य)
8. दो प्राचार्य / प्राचार्या,अनुदानित महाविद्यालय, (मा0 कुलपति द्वारा नामित) (सदस्य) (कार्यकाल एक वर्ष)
9. परीक्षा नियन्त्रक (सचिव)

विनिश्चय संख्या 2026/03/16:- श्रीमती लक्ष्मी सिंह, (आई0पी0एस0) पुलिस कमिश्नर, नोएडा द्वारा अपने पिता स्व0 श्री इन्द्र देव सिंह की स्मृति में सत्र 2025—2026 से निम्नांकित प्रस्तावानुसार अगले 10 वर्ष तक की अवधि हेतु एक लाख का रूपये का नकद पुरस्कार एवं एक ट्राफी प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:—To award a Trophy and a cash Prize of Rs One lakh only, in the memory of Late Shri Indra Deo Singh to-

1. A student of 3 year Law-LL.B course including all law colleges associated with Lucknow University.
2. In LL.B final-3 year degree course; satisfying the following criteria:

- Who qualifies in all three years in his/her first attempt
- Secures highest sum of marks in all 3 years/semesters
- In the subject of Law
- In case of more than one student achieving this remarkable achievement, the younger of the lot with shining merit shall be eligible
- This award to statted for session 2025-2026. If possible

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण पर व्यापक विचारोपरान्त उक्त पुरस्कार एवं मेडल सत्र 2026—2027 से प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर विश्वविद्यालय में मेडल हेतु छात्र—छात्राओं का निर्धारण उनके लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर किए जाने एवं विवरणात्मक आख्या तैयार कर संस्तुति प्रदान किए जाने हेतु निम्नवत समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. प्रो0 विवेक सहाय, गणित एवं खगोल शास्त्र विभाग, ल0वि0वि0। :—अध्यक्ष
2. डॉ0 मंजुला उपाध्याय, प्राचार्य, नवयुग कन्या महाविद्यालय। :—सदस्य
3. परीक्षा नियन्त्रक :—सचिव
4. उप कुलसचिव, परीक्षा :—प्रस्तुतकर्ता

मा0 कार्य परिषद द्वारा पारदर्शिता के दृष्टिगत पदकों का निर्धारण परीक्षा समिति के माध्यम से किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Ashish

विनिश्चय संख्या 2026/03/17:- उत्तर प्रदेश शासन के दिशानिर्देश एवं शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुरूप लखनऊ विश्वविद्यालय स्तर पर Artificial Intelligence (AI) संचालन समिति के गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय स्तर पर Artificial Intelligence (AI) संचालन हेतु समिति के गठन सम्बन्धित प्रस्ताव पर आंशिक संशोधनो के उपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/18:- पी0एम0–उषा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु Board of Governors (BOG) तथा Project Monitoring Unit (PMU) के गठन का प्रारूप एवं BOG में 02 मा0 कार्य परिषद सदस्यों को नामित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा पी0एम0–उषा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु Board of Governors (BOG) तथा Project Monitoring Unit (PMU) के गठन के प्रारूप पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा Board of Governors (BOG) मे निम्नांकित 02 मा0 कार्य परिषद सदस्यों को सदस्य नामित किया गयाः–

1. **प्रो0 अरविन्द मोहन, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।**
2. **प्रो0 मुनीश कुमार, शिक्षा शास्त्र, विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।**

विनिश्चय संख्या 2026/03/19:- डॉ0 राम मिलन, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्याःई–2170/जी0एस0 दिनांक 08.04.2026 मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

विनिश्चय संख्या 2026/03/20:- कार्य परिषद की बैठक दिनांक 09.08.2024 के मद संख्या 2024/04/S04 पर लिये गये निर्णय के विरूद्ध डॉ0 मोनिषा बनर्जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 7052 ऑफ 2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय "13-Until further order of this court, operation of supplementary agenda item no. 2024/04/S04 of the meeting of Executive Council held on 09/08/2024 shall remain stayed" के अनुपालन में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 09-08-2024 के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या 2024/04/S04 को उक्तानुसार संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या R/330/26 दिनांक 11-04-2026 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 7052 ऑफ 2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 09-08-2024 के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या 2024/04/S04 को स्थगित किये जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/21:- मा0 कुलाधिपति महोदया, राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–4099/5–जी0एस0(68)/(Mics) दिनांक 02.08.2019 के निर्देशानुसार कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.11.2019 में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 नीरज जैन के शिकायती पत्र पर शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता/असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त डॉ0 मो0 तारिक की प्रथम नियुक्ति के समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता की जॉच हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा पुनर्गठित समिति की जॉच आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 मो0 तारिक, प्रवक्ता/असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रकरण पर पुनर्गठित समिति की जॉच आख्या पर व्यापक विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

निश्चय संख्या 2026/03/22:- बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कालेज, चारबाग, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत), बी0कॉम के पद पर कार्यरत डॉ0 अर्पणा टण्डन, के प्रकरण पर महामहिम श्री कुलाधिपति कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या ई–2430/जी0एस0 दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्रकरण को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर विधि सम्मत निस्तारण हेतु प्रदान किये गये आदेश के क्रम में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम में शिक्षक की नियुक्ति की प्राधिकारी है अतएव मा0 राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 17.04.2025 के अनुपालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के दृष्टिगत डॉ0 अर्पणा टण्डन को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का आठ सप्ताह के अन्तर्गत नियमानुसार निस्तारण कर कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

विनिश्चय संख्या 2026/03/23:- लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न संस्थान/केन्द्रों के सुगम संचालन हेतु संस्थान/केन्द्र को विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अधीन संचालित किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुति मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न संस्थान/केन्द्रों के सुगम संचालन हेतु संस्थान/केन्द्र को विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अधीन संचालित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति पर मा0 कार्य परिषद द्वारा Dr. Shankar Dayal Sharma Institute of Democracy को विज्ञान संकाय के स्थान पर कला संकाय के अधीन किये जाने के साथ समिति की संस्तुति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार सम्बन्धित संस्थानों को परिनियम में प्रतिस्थापित किए जाने की प्रक्रिया सम्पादित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/24:- प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच सम्बन्धी समिति (2025–26) की आगामी बैठक दिनांक 15.04.2026 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या आर/286 दिनांक 09.04.2026 को शासन को प्रेषित निम्नवत आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुतः–

"लखनऊ विश्वविद्यालय के जिन कर्मचारियों को वेतनमान की सुविधा तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय के आदेश से प्रदान की गयी है तथा इसका अनुमोदन कार्यपरिषद से नहीं है का अनुमोदन आगामी प्रस्तावित कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.04.2026 में प्रस्तुत कर करा लिया जायेगा। तद्नुसार संलग्न कार्मिकों की सूची कार्योत्तर अनुमोदन हेतु मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण लखनऊ विश्वविद्यालय के जिन कर्मचारियों को वेतनमान की सुविधा तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय के आदेश से प्रदान की गयी है तथा इसका अनुमोदन कार्यपरिषद से नहीं है पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों की सूची पर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/25:- गणित एवं खगोल विज्ञान विभाग की दिनांक 11.04.2026 को सम्पन्न अध्ययन मण्डल की आकस्मिक बैठक की संस्तुतियॉ सम्बन्धित संकाय परिषद/विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

गणित एवं खगोल विज्ञान विभाग की दिनांक 11.04.2026 को सम्पन्न अध्ययन मण्डल की आकस्मिक बैठक की संस्तुतियों पर विद्या परिषद के अध्यक्ष के रूप में मा0 कुलपति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/26:- श्री वीरेश वर्मा, (निलम्बित) वरिष्ठ सहायक, कुलसचिव कार्यालय सम्बद्ध कुलानुशासक कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 से बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित प्रकरण पर उप कुलसचिव शिक्षणेत्तर की जॉच आख्या दिनांक 25.08.2025 एवं निदेशक, विधिक के अभिमत दिनांक 06.10.2025 के आलोक में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

श्री वीरेश वर्मा, (निलम्बित) वरिष्ठ सहायक, कुलसचिव कार्यालय सम्बद्ध कुलानुशासक कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 से बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित प्रकरण पर उप कुलसचिव शिक्षणेत्तर की जॉच आख्या दिनांक 25.08.2025 एवं निदेशक, विधिक के अभिमत दिनांक 06.10.2025 के आलोक में मा0 कार्य परिषद द्वारा व्यापक विचारोपरान्त श्री वीरेश वर्मा, (निलम्बित) वरिष्ठ सहायक, कुलसचिव कार्यालय सम्बद्ध कुलानुशासक कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय को उनके निलम्बन की तिथि से सेवा समाप्त करने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

तत्समय प्रस्तुत मद की कार्यवाही

विनिश्चय संख्या 2026/03/S01:- कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05.02.2026 के मद 2026/01/21 पर निम्नवत निर्णय लिया गया था:-

"डॉ0 डी0पी0 तिवारी को उत्तर प्रदेश पेंशन नियमावली के अर्न्तगत अन्तरिम पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा नियमों के आलोक में डॉ0 तिवारी के दिनांक 12.03.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रकरण को कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।"

कार्य परिषद के उक्त निर्णय के अनुपालन में मा0 कार्य परिषद को अवगत कराना है कि प्रो0 डी0पी0 तिवारी, (सेवानिवृत्त) प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को कार्यालय पत्र संख्या टी–5107 दिनांक 11.03.2019 द्वारा वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार में कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण हेतु एक वर्ष का वेतन रहित असाधारण अवकाश धाराणधिकार सहित दिनांक 12.03.2019 से 11.03.2020 तक स्वीकृत किया गया था। इसी क्रम में प्रो0 डी0पी0 तिवारी दिनांक 12.03.2020 से 30.06.2021 तक असाधारण अवकाश को विस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 में प्रार्थित अवकाश जॉच प्रचलित होने के कारण स्थगित कर दिया गया था।

प्रो0 डी0पी0 तिवारी के प्रकरण पर जॉच की आख्या दिनांक 20.10.2021 निम्नवत है:– "In view of Final Report in the FIR, compromise between the employee and contractor who may not support his rersion in

regular enquiry proceedings and retirement of the employee, and that actually there is no monetary loss to the University at the discretion of the Executive council, the proceedings may be dropped"

प्रो0 डी0पी0 तिवारी के प्रकरण पर उपरोक्त जॉच आख्या के आलोक एवं मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05.02.2026 के मद 2026/01/21 मे लिये गये निर्णय के दृष्टिगत परिनियमावली के परिनियम 7.4(VI) के अन्तर्गत प्रो0 डी0पी0 तिवारी को दिनांक 12-03-2020 से दिनांक 30-06-2021 तक के असाधारण अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रो0 डी0पी0 तिवारी, (सेवानिवृत्त) प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को दिनांक 12-03-2020 से दिनांक 30-06-2021 तक के असाधारण अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। अग्रेतर विश्वविद्यालय में जॉच प्रक्रिया को दीर्घ समय तक लम्बित रखने पर खेद व्यक्त करते हुए भविष्य में जॉच के प्रकरणों को नियमानुसार शीघ्र निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये।

विनिश्चय संख्या 2026/03/S02:- ONGC Centare for Advance Studies (OCAS) की दिनांक 11-04-2026 को सम्पन्न Governing Board के बैठक की संस्तुतियॉ मा0 विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

ONGC Centare for Advance Studies (OCAS) की दिनांक 11-04-2026 को सम्पन्न Goverinng Board के बैठक की संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा मा0 विद्या परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/S03:- मा0 कार्य परिषद की दिनांक 20-03-2020 को सम्पन्न बैठक संख्या 1/2020 के विनिश्चय संख्या 18 में मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रो0 सुकान्त चौधरी, समाज शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रकरण पर एक नई समिति के गठन किये जाने हेतु अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया गया, जो अनुशासनात्मक समिति की जॉच आख्या का अध्ययन कर उसके परिणाम/निष्कर्ष को अगली कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

डॉ0 सुकान्त चौधरी की जॉच रिपोर्ट उनको हस्तगत कराते हुए उन्हें 02 सप्ताह की समय सीमा प्रदान करते हुए प्राप्त आख्या कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 2026/03/S05:- कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.03.2025 के मद संख्या 2025/01/06 के प्रस्तर 04 में हुई लिपिकीय त्रुटि के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05.02.2026 में निम्नांकित संशोधन पर सहमति प्रदान की गई थी:–

"कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.03.2025 के मद संख्या 2025/01/06 के प्रस्तर 04 के द्वितीय पंक्ति में अंकित 'नये विभाग प्रबन्ध विभाग' से 'नये विभाग' को विलोपित किया जाता है। अतः उक्त मद को उक्तानुसार संशोधित पढ़ा एवं समझा जाए।"

उक्त प्रकरण पर निदेशक, विधिक द्वारा निम्नवत अभिमत प्रदान किया गया है:–

"कार्यालय ज्ञाप संख्या एम–14882–92 दिनांक 27.07.2024 निरस्त करते हुये संशोधित कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जाना विधिसम्मत है।"

Bmish

निदेशक, विधिक की आख्या के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या एम–14882–92 दिनांक 27.07.2024 निरस्त करते हुये संशोधित कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा निदेशक, विधिक के अभिमत के आलोक में कार्यालय ज्ञाप संख्या एम–14882–92 दिनांक 27.07.2024 निरस्त करते हुये संशोधित कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या **2026/03/S06:-** लखनऊ विश्वविद्यालय में Institutional Ethics Committee के गठन के सम्बन्ध गठित समिति की आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय में Institutional Ethics Committee के गठन के सम्बन्ध गठित समिति की आख्या पर मा0 कार्य परिषद सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या **2026/03/S07:-** लखनऊ विश्वविद्यालय में M.Sc.Ag. (Food Processing & Food Technology) का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय में M.Sc.Ag. (Food Processing & Food Technology) का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी चन्द्रभान गुप्ता कृषि महाविद्यालय के प्रस्ताव पर व्यापक विचारोपरान्त सैद्धन्तिक अनुमति प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु चन्द्रभान गुप्ता कृषि महाविद्यालय को निर्देशित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य मद

- **डॉ0 सी0आर0 गौतम, भौतिक विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के आर0एन0डी0 प्रोजेक्ट के लम्बित भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण पर मा0 कार्य परिषद द्वारा भुगतान किये जाने पर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि यदि शासन से कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में आता है तो विश्वविद्यालय अपने स्रोतो (राजस्व मद के अन्तर्गत व्यय) से भुगतान समायोजित करेगा।**
- **मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05.02.2026 के विनिश्चय संख्या 2026/01/18 पर डॉ0 रोहिणी यादव के प्रकरण पर लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 08.04.2026 को डॉ0 रोहिणी यादव का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ। अतः अल्पसमय में अध्ययन कर विस्तृत उत्तर तैयार न हो पाने के कारण प्रकरण को आगामी कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश प्रदान किये गये।**

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद की अनुमति से कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा समस्त मा0 कार्य परिषद सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

कुलसचिव

अनुमोदित

13/4/26

कुलपति